School Recognition Certificate generated and downloaded from Education Portal [www.educationportal.mp.gov.in]

प्ररूप 2 (नियम 11 (4) देखिए)

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

# कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (BETUL), मध्यप्रदेश

दूरभाषः- फैक्सः ई-मेलः

क्रमांकः/35230101/स्कूल आई.डी. - 77990 दिनांकः- 30/03/2018

प्रति,

प्रबंधक,

(PVT SHRI BALAJI INTERNATIONAL SCHOOL GHORADONGRI)

**विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।**

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 18/01/2018 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल -PVT SHRI BALAJI INTERNATIONAL SCHOOL GHORADONGRI, NEAR TOLL PLAZA, SARNI ROAD GHORADONGRI को कक्षा Nursery से कक्षा 8 तक के लिए दिनांक 01/04/2018 से 31/03/2021 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूं।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगीः-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेषित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किंतु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्ते कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्रि स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहां अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध प्रि-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
  - (क) आयु के सबूत के अभाव में;
  - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
  - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि-
  - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा;
  - किसी बालक को षारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
  - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
  - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
  - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्त/विशेश आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
  - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी; बशर्ते कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी ;
  - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
  - प्रायवेट टीचिंग की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।
- स्कूल समुचित प्राधिकारी व्दारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा।

Principal
Balaji International School

सचिव
बालाजी इन्टरनेशनल स्कूल

- स्कूल व्दारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गयीं:-

| | सुविधाएँ | पोर्टल मे दर्ज़ | वास्तविक स्थिति |
|---|---|---|---|
| 8 | स्कूल के भवन की स्थिति | स्वयं का भवन | स्वयं का भवन |
| 9 | स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में) | 90000 | 90000 |
| 10 | स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में) | 30000 | 30000 |
| 11 | खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में) | 60000 | 60000 |

ड. **अधोसंरचना का विवरण**

| | कक्ष | Rooms as per RTE | पोर्टल मे दर्ज़ | | वास्तविक स्थिति | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | संख्या | औसत आकार (वर्ग फीट में) | संख्या | औसत आकार (वर्ग फीट में) |
| 1 | कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्ष | | 20 | 350 | 20 | 350 |
| 2 | कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष | | 2 | 350 | 2 | 350 |
| 3 | भोजनालय-सह-भण्डार | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | अन्य सुविधाएँ | पोर्टल मे दर्ज़ | वास्तविक स्थिति |
|---|---|---|---|
| 1 | क्या सभी सुविधाओं तक पहुंच बाधा रहित है हां/नहीं | हाँ | हाँ |
| 2 | पठन पाठन सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें) | हाँ | हाँ |
| 3 | खेलकूद एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें) | हाँ | हाँ |
| 4 | पुस्तकों की संख्या | 250 | 250 |
| 5 | पत्रिकाएं/समाचार पत्र | 4 | 3 |
| 6 | पेयजल सुविधा का प्रकार | Other | Other |
| 7 | पेयजल सुविधा की संख्या | 2 | 2 |
| 8 | शौचालय का प्रकार (भारतीय/पश्चिमी/नहीं) | Indian | Indian |
| 9 | लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या | 2 | 2 |
| 10 | लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या | 2 | 2 |
| 11 | विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या | 1 | 1 |
| 12 | क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ? हां/नहीं | हाँ | हाँ |

- लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टड एकाउन्टेंट व्दारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर..35230101.. एवं डाईसकोड (DISE) 23350705419 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भित किए जाएं।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल व्दारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा अधिकारी व्दारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।
- सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्तें संलग्न उपाबंध "तीन" के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

भवदीय,

जिला शिक्षा अधिकारी
District Education Officer
Distt- Betul
जिला BETUL मध्यप्रदेश

Principal
Balaji International School

सचिव
बालाजी इन्टरनेशनल स्कूल

शिक्षा का अधिकार

# राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमाक / राशिके / आरटीई / 2020 / 336 भोपाल, दिनाक 20.1.21

प्रति,

1. कलेक्टर
   समस्त जिला—म.प्र.
2. जिला शिक्षा अधिकारी
   समस्त जिला—म.प्र.
3. विकासखड श्रोत समन्वयक
   जनपद शिक्षा केन्द्र, समस्त

विषय— शिक्षा का अधिकार—सत्र 2021—22 हेतु प्रायवेट स्कूलों की नवीन मान्यता आवेदन के संबध में।

सन्दर्भ— 1—राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र कमाक 8225 भोपाल दिनाक 14.12.2020

2—म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र कमाक / एफ 37—2 / 2020 / 20—3 भोपाल दिनांक 31.12.2020

सन्दर्भित पत्र सरल कमाक—1 के माध्यम से निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत अशासकीय स्कूलों के लिये सत्र 2021—22 की नवीन मान्यता एव मान्यता नवीनीकरण के आवेदन की प्रकिया एव समय—सारणी जारी की गयी है। जिन अशासकीय स्कूलों की मान्यता 31 मार्च 2021 को समाप्त हो रही है उनकी मान्यता आटो रिन्यूवल 31 मार्च 2022 तक किये जाने हेतु सन्दर्भित पत्र सरल कमाक—2 द्वारा निर्देश जारी किये गये है। अतः इन अशासकीय स्कूलों को मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन करने की आवश्यकता नही है।

1. यदि कोई संस्था सत्र 2021—22 से नवीन अशासकीय स्कूल संचालित करना चाहती है तो पूर्व वर्णित प्रकिया अनुसार मान्यता आवेदन करना अनिवार्य है।
2. यदि किसी स्कूल द्वारा स्कूल मे कक्षा की वृद्वि की जाना है अर्थात यदि कोई स्कूल कक्षा 5वी तक है परन्तु उसे कक्षा 8वी तक वृद्वि करना चाहते है तो उनके द्वारा मान्यता हेतु आवेदन उक्त वर्णित प्रकिया अनुसार किया जा सकता है।

सत्र 2021—22 की मान्यता हेतु निम्नानुसार संशोधित समय सारणी जारी की जाती है:—

| क्र | कार्यवाही | कार्यवाही हेतु समय सीमा |
|---|---|---|
| 1 | प्रायवेट स्कूलों द्वारा नवीन मान्यता हेतु ऑनलाईन आवेदन | 30 जनवरी 2021 तक |
| 2 | बी.आर.सी.सी. द्वारा स्कूल का भौतिक सत्यापन कर निरीक्षण रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करना | अशासकीय स्कूल द्वारा आवेदन करने के 15 कार्य दिवस के अंदर |
| 3 | जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता आवेदन के प्रकरणों का निराकरण | 45 कार्य दिवस |
| 4 | कलेक्टर के समक्ष अपील करना | जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता आवेदन निरस्ति दिनाक से 45 कार्य दिवस तक संबधित अशासकीय स्कूल द्वारा। |
| 5 | कलेक्टर द्वारा अपीलीय आवेदनों का निराकरण | स्कूल के आवेदन प्राप्ति के 15 दिवस तक |

कृपया उक्त समय—सीमा में निराकरण करने का कष्ट करें।

(लोकेश कुमार जाटव)
आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र